राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4025/2022

सरिता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवा और अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर (राज.)।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, राजस्थान, चिकित्सा निदेशालय, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।
5. प्रखंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खेतड़ी, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।
6. चिकित्सा अधिकारी, उप केंद्र, कोल्याली, खेतड़ी, जिला झुंझुनू (राज.)।

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.09.2022
आदेश की दिनांक : 12.10.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कोमल गिरी, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थीया के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थीया वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के पद पर उपकेंद्र, कोल्याली, खेतड़ी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) में कार्यरत है। अपीलार्थीया के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीया का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापन

स्थान से बी.सी.एम.ओ. फलौदी, जौधपुर में ए.एन.एम के पद पर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थीया का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के वर्तमान पदस्थापित स्थान से 350 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थीया के पति भारतीय सेना में सिपाही के पद कार्यरत है और अपीलार्थीया के वृद्ध माता–पिता और नाबालिग बच्चों की देनदारी है, अपीलार्थीया को ही परिवार की देखभाल करनी होती है अपीलार्थीया का स्थानान्तरण बिना मस्तिष्क प्रयोग करे एवं दुर्भावनापूर्ण किया गया है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थीया की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाए।

हमनें अपीलार्थीया के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीया प्रत्यर्थी विभाग के अधीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.), उपकेंद्र कोल्याली, खेतड़ी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थीया का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थीया ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप

होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अपीलार्थीया ने अपील में स्वंय का 350 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)